04-03-15

अपीलार्थी अनुपस्थित।

समय 1:50 बजे

प्रतिअपीलार्थीगण द्वारा श्री रघुराज पाल अधिवक्ता उपस्थित।

- 1— अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री यू.एस.पचोली को बुलवाया गया, उन्होंने कहा कि पक्षकार उनसे फाईल वापस ले गया है इसलिए वे आज इस मामले में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।
- 2— अपीलार्थी को पुकार लगाने पर उपस्थित नहीं है, ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थी की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।
- 3— उभय पक्ष अपना—अपना वाद व्यय वहन करेंगे।
- 4— अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।
- 5— तद्नुसार व्यय तालिका बनाई जाये। परिणाम अंकित कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जाये।

सही / – (वी.के.दुबे) जिला न्यायाधीश, बैतूले